youths and to abolish subversive activities in the Region. Under the circumstances industrialists have shown keen interest towards economic development and promoting industrial investment in the NER by setting up various industries in different fields.

The State Governments of the NER are also providing every possible contribution for establishment of industries in the NER. The law and order situation is in a deteriorating condition. Due to this, the foreign and private investors under liberalisation policy are not making huge capital investments in the Region.

But it is a matter of grave concern that the Government has proposed to make amendment in the existing Industrial Policy to withdraw the aforesaid exemption being granted to the industries of the NER. It is totally against the interest of the NER. The Government should think seriously and positively in the national interest. At least, the Excise Duty or any other duty should not be withdrawn from *Gutka* and tobacco industries as they are generating more employment in the Region.

I, therefore, urge upon the Central Government that facilities and exemptions being granted, in the past, under the existing policy to the industrialists of the NER should not be withdrawn in the mid-stream, in the larger interest of the NER. Thank you.

Power crisis in Madhya Pradesh

श्री पी0 के0 माहेश्वरी (मध्य प्रदेश) : महोदय, मध्य प्रदेश इस समय गंभीर बिजली संकट से जूझ रहा है । यहां तक कि राज्य की राजधानी भोपाल में भी कई घंटे की घोषित और अघोषित विद्युत कटौती हो रही है, वहीं बिजली संकट पर शासन ने संसद में कहा है कि देश में पन-बिजली के उत्पादन मे भारी गिरावट आई है । इस से देशभर मे बिजली की कमी आई है । ऐसे में सरकार को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के जरिए विद्युत उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन शासन ने ऐसा नहीं किया बल्कि राज्यों को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतो के विकास के लिए पहले से दी जा रही आर्थिक सहायता में भारी कमी कर दी है । यह कमी उन राज्यों मे ज्यादा हुई है जो पहले से बिजली की कमी से जूझ रहे थे । इस मद मे मध्य प्रदेश को 1999 मे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए 11.421 करोड़ रुपए जारी किए थे, 2000 में यह धनराशि 7.736 करोड और वर्ष 2001-2002 मे यह सहायता राशि घटकर 3.805 करोड़ रुपए रह गयी है । ऐसी स्थिति मे केन्द्र ने राज्य की सहायता में लगभग चार गुणी कमी कर दी है जो बहुत अन्यायपूर्ण है । इसलिए केन्द्र सरकार राज्यों के साथ भेदभाव छोड़ कर मध्य प्रदेश को पहले जारी हुई धनराशि से भी अधिक धनराशि जारी करे जिस से राज्य ऊर्जा के दूसरे स्रोतो से बिजली पैदा कर अपने संकट को कम करने की कोशिश कर सके ।